EXTRACT OF RELEVANT BYE-LAWS and SECTIONS OF MSCS ACT

Bye-Law 27(ii) (c)

Delegates not exceeding 100 are to be elected from amongst the representatives of member societies/ organisations (other than those holding shares of the value of Rs. 5 lakh and above) in each State/ Union Territory at the rate of one delegate for every 100 member societies or part thereof; provided, however, the maximum number of such delegates from any State/ Union Territory shall not exceed 20;

Bye-Law 27(ii) (d)

Delegates not exceeding 500 are to be elected from the category of member societies holding share capital of Rs. 5 lakh and above but less than Rs.1 crore;

Provided that the maximum number of such delegate from any State/ Union Territory shall not exceed 250.

The allocation of number delegates from any State/Union Territory and their group of member societies shall be decided by the Board of Directors on the basis of fertilizer/product/services utilized, average percentage of share capital, and membership of that State/Union Territory.

Bye-Law 21

A member/member society of KRIBHCO shall cease to be a member if:

- (i) its registration is cancelled; or
- (ii) it transfers all its shares to another society; or
- (iii) it is expelled by the General Body.
- (iv) Fails to achieve the basic minimum level of utilization of the fertilizer/products/ services of KRIBHCO for two consecutive years, which shall be 100 MT of Urea or equivalent value of fertilizer/products/ services of KRIBHCO.
 - Provided such member shall not be held responsible for non-availability or non-allocation, due to any reasons, of the above fertilizer/products/ services.
- (v) The business of the member is in conflict or competitive with the business of KRIBHCO; or
- (vi) The member fails to be represented in three consecutive meetings of the Representative General Body Meetings and such absence has not been condoned by the majority of the members present and voting.
- (vii) The member is in default of any payment to KRIBHCO and such payments have been due.

Bye-Law 29

The procedure for election of the delegates to the General Body from various States shall be in accordance with the election regulations framed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Act and Rules framed thereunder.

Bye-Law 47(xvi)

To frame regulations for the election of delegates to the General Body, members to the Board of Directors and for the conduct of meetings of the General Body and Board of Directors as per the Act and Rules framed thereunder;

Section 38(3) of MSCS (Amendment) Act, 2023

Where in any meeting of the General Body or the Board of a Multi-State Cooperative Society, a Cooperative Society or another Multi-State Cooperative Society is to be represented, such Cooperative Society or other Multi-State Cooperative Society shall be represented in such meeting only through the Chairperson or the President or the Chief Executive or a member of the Board of such Cooperative Society or other Multi-State Cooperative Society, as the case may be, if such member is so authorised by the Board and where there is no Board of such Cooperative Society or other Multi-State Cooperative Society, for whatever reasons, through the administrator, by whatever name called, of such Cooperative Society or other Multi-State Cooperative Society.

Provided that where the Bye-laws of a Multi-State Cooperative Society provide for representation of other Institution in any meeting of General Body or the Board of such Multi-State Cooperative Society, such institutions shall be represented through its nominee.

*Disclaimer: In case of any conflict between English Version and its translation in any other language, English version shall prevail.

संबंधित उपविधियों और बहु-राज्य सहकारी सिमति अधिनियम (MSCS) के धाराओं का निष्कर्ष उपविधि 27(ii)(c)

प्रतिनिधियों के बीच सदस्य सिमितियों/संस्थाओं (उनके अलावा जिनके शेयरों का मूल्य 5 लाख रुपये और उससे अधिक है) से प्रति राज्य/संघीय क्षेत्र 100 से अधिक नहीं delegate का चुनाव किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक 100 सदस्य सिमितियों या उसके अंश के लिए एक प्रतिनिधि होगा; बशर्ते कि किसी भी राज्य/संघीय क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक न हो।

उपविधि 27(ii)(d)

प्रतिनिधियों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी, जो 5 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम के शेयर पूंजी वाले सदस्य समितियों की श्रेणी से चुने जाएंगे;

बशर्ते कि किसी भी राज्य/संघीय क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 250 से अधिक न हो।

किसी भी राज्य/संघीय क्षेत्र से प्रतिनिधियों की संख्या का आवंटन और उनके सदस्य सिमितियों के समूह का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा उर्वरक/उत्पाद/सेवाओं के उपयोग, शेयर पूंजी का औसत प्रतिशत और उस राज्य/संघीय क्षेत्र की सदस्यता के आधार पर किया जाएगा।

उपविधि 21

यदि कोई सदस्य/सदस्य समिति निम्नलिखित में से किसी एक कारण से सदस्यता समाप्त करती है:

- (i) उसकी पंजीकरण रद्द कर दी गई है; या
- (ii) वह अपने सभी शेयर किसी अन्य समिति को हस्तांतरित करती है; या
- (iii) उसे सामान्य निकाय द्वारा निष्कासित किया गया है;
- (iv) वह कृभको के उर्वरक/उत्पाद/सेवाओं के उपयोग का न्यूनतम स्तर दो लगातार वर्षों तक प्राप्त नहीं करती है, जो 100 मीट्रिक टन यूरिया या कृभको के उर्वरक/उत्पाद/सेवाओं के समकक्ष मूल्य होगा। बशर्ते कि ऐसे सदस्य को ऊपर दिए गए उर्वरक/उत्पाद/सेवाओं की अनुपलब्धता या असाइनमेंट के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (v) सदस्य का व्यापार कृभको के व्यापार के साथ संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में है; या
- (vi) सदस्य प्रतिनिधि सामान्य सभा की तीन लगातार बैठकों में प्रतिनिधित्व नहीं करता है और ऐसी अनुपस्थिति को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
- (vii) सदस्य किसी भी भुगतान में कृभको के प्रति चूक में है और ऐसे भुगतान बकाया हैं।

उपविधि 29

विभिन्न राज्यों से सामान्य निकाय के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए चुनाव नियमों के अनुसार होगी, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

उपविधि 47(xvi)

सामान्य निकाय के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव, निदेशक मंडल के लिए सदस्यों और सामान्य निकाय और निदेशक मंडल की बैठकों के संचालन के लिए नियम बनाने के लिए, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार।

धारा 38(3) बहु-राज्य सहकारी (संशोधन) अधिनियम, 2023

जहां किसी बहु-राज्य सहकारी समिति की सामान्य सभा या बोर्ड की किसी बैठक में, किसी सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व किया जाना है, तो उस सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व केवल उसके अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी या उस सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्य द्वारा किया जाएगा, यदि ऐसा सदस्य बोर्ड द्वारा अधिकृत है और जहां उस सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति का कोई बोर्ड नहीं है, तो उसके प्रशासक द्वारा, जो भी नाम से जाना जाता है।

बशर्ते कि जहां बहु-राज्य सहकारी सिमिति के उपविधियों में सामान्य सभा या बोर्ड की किसी बैठक में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो, तो ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण

अंग्रेज़ी पाठ और अन्य भाषा में अनूदित पाठ के बीच अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा।